



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना - 800 001
Office of The Principal Accountant General
(Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001
Telephone: 0612- 2221226,
Email: agaubihar@cag.gov.in



2025-26 की 3rd तिमाही के लिए पुनरीक्षित अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु यात्रा कार्यक्रम
Team No – CA/06 (AMG-I)

Name of Team members –

1. Shri Rochak Kumar, SAO
2. Shri Siyaram Kumar, AAO (C)
3. Shri Govind Kumar, AAO
4. Shri Ashish Kumar No. 5, AAO

Sl. No.	Name of the audit entity	Last audit conducted	Duration of Program		Number of working days	Remarks
			From	To		
1.	Bihar Police Building Construction Corporation (BPBCC), Patna	LA	05.01.2026	14.01.2026	8	Sat-03/01, 10/01 Sun-04/01, 11/01
Transit to Muzaffarpur: 15.01.2026 (Morning)						
2	Division Office (BPBCC), Muzaffarpur	LA	15.01.2026	24.01.2026	8	Sun-18/01, 25/01 Holiday- 23/01
Transit to Darbhanga: 27.01.2026 (Morning)						
3	Division Office (BPBCC), Darbhanga	LA	27.01.2026	05.02.2026	8	Sun-01/02, 08/02 Holiday- 26/01, 04/02
Transit to Patna : 05.02.26 (Evening)						
4	B S Text Book Publishing Corporation Limited, Patna (HQ)	LA	06.02.2026	23.02.2026	12	Sat- 07/02, 14/02, 21/02 Sun-08/02, 15/02, 22/02
Transit to Muzaffarpur: 24.02.2026 (Morning)						
5	B S Text Book Publishing Corporation Limited, Sales Office, Muzaffarpur	LA	24.02.2026	26.02.2026	3	
Transit to Patna 26.02.26 (Evening)						
Transit to Bhagalpur: 09.03.2026 (Morning)						
6	B S Text Book Publishing Corporation Limited, Sales Office, Bhagalpur	LA	09.03.2026	11.03.2026	3	
Transit to Gaya ji: 12.03.2026						
7	B S Text Book Publishing Corporation Limited, Sales Office, Gaya Ji	LA	13.03.2026	16.03.2026	3	Sun-15/03

Attached to Headquarter- 17.03.2026

अनुदेश/ Instructions:

1. लेखापरीक्षा दल संबंधित इकाई की डेस्क समीक्षा तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के बाद दल अतिरिक्त डेस्क समीक्षा भी प्रस्तुत करेगा।
The audit team shall prepare and submit the Desk Review. The team shall also submit additional desk review after the commencement of audit.
2. लेखापरीक्षा दल 30.10.25 के ज्ञापन संख्या 992-997 के माध्यम से जारी दूसरी त्रैमासिक बैठक(15.10.25)) के कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों का पालन करेगा।
The teams shall comply the instructions mentioned in Minutes of 2nd quarterly meeting (15.10.25) issued through memo no. 992-997 dated 30.10.25.
3. शीर्ष इकाई की लेखापरीक्षा करते समय, संबंधित लेखापरीक्षा दल संबंधित विभाग की उन इकाइयों की सूची तैयार करेगा, जिनकी लेखापरीक्षा CAG (DPC) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत की जा सकती है। शीर्ष इकाई की लेखापरीक्षा समाप्त होने के बाद, दल द्वारा यह सूची AMG-I (मुख्यालय) (अनुभाग को अलग से प्रस्तुत करेगा।
While conducting audit of apex unit of transport department, the concerned audit team will prepare the list of units of concerned department, whose audit may be conducted under section 14 of CAG (DPC) Act. The list will be submitted by the team to AMG-I (HQ) section separately after closing of audit of apex unit.
4. दल को स्कंध आदेश संख्या 05 - दिनांक 05.06.2025 के अनुसार Key Result Area का पालन करना होगा।
The team should follow and adhere the Key Result Area as circulated vide wing order no. 05 dated 05.06.2025.
5. लेखापरीक्षा दल द्वारा योजनाओं के चयन/समीक्षा के बाद ही संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और भौतिक सत्यापन का अंतिम प्रतिवेदन, संबंधित तस्वीरों सहित, संबंधित मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
The joint physical verification should be done only after selection/review of schemes by the audit team and the final report on physical verification along with concerned photographs should be submitted with the concerned Draft Inspection Reports.
6. लेखापरीक्षा दल को मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से OIOS प्लेटफॉर्म पर अनुपालन लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
The audit team is directed to conduct compliance audit on OIOS platform mandatorily as per headquarter instructions.
7. लेखापरीक्षा दल को होटल में ठहरने और TA दावों के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या Misc/TA/CA-529 दिनांक 01.03.2023 का अनुपालन करना चाहिए।
The audit team should comply the O.O. No. Misc/TA/CA-529 dated 01.03.2023 regarding stay at Hotel & TA claims.
8. लेखापरीक्षा दल को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायत मामलों/मीडिया रिपोर्टों (प्रेस क्लिपिंग) की अनुपालन रिपोर्ट , जो टीम को सौंपी गई हो या कार्यालय के दाईं ओर रबन पर 'सत्यापन के लिए आइटम' ध्वज पर दिखाई गई हो, यदि कोई हो, मुख्यालय अनुभाग (AMG-I) को अलग से प्रस्तुत करें।
The Audit team is directed to submit compliance report of complaint cases/media reports press clippings) handed over to the team or shown at 'Items for Verification' flag at right side ribbon of OIOS, if any, to the headquarter section (AMG-I) separately.
9. लेखापरीक्षा दल को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक सप्ताह मुख्यालय आएँ , यदि लेखापरीक्षित इकाई स्थल मुख्यालय से 150 किमी से कम की दूरी पर हो (यह लागू नहीं होता है जहां लेखापरीक्षा दल का भोजन/आवास सफ्ट हॉउस/गेस्ट हाउस/निरीक्षण बंगले, मेस आदि में हो) {प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय पत्र संख्या 3368/BRS/2012 दिनांक 27 जून 2012}
Field team is directed to come on Headquarter on every weekend from place of auditee units at a distance of less than 150 km from headquarter (not applicable where boarding/lodging of Audit Team is in circuit house/ guest house/inspection bungalows, messes etc.) {Authority vide Hqr. Letter No. 3368/BRS/2012 dated 27th June 2012}.
10. लेखापरीक्षा दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त एवं प्रासंगिक अवलोकनों के साथ पर्याप्त और प्रासंगिक कुंजी

दस्तावेज संलग्न हों और उनका संदर्भ उचित रूप से दिया गया हो।

The audit team should be ensured that sufficient and relevant KDs are attached with the observations and referencing of them done properly.

11. लेखापरीक्षा समाप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन पर लेखापरीक्षित इकाइयों और उनके नियंत्रण अधिकारियों की ई-मेल आईडी अंकित होनी चाहिए।
Draft IRs must be submitted within 07 working days from the date of completion of audit. E-mail Id of auditee units and their controlling officers should be mentioned on draft IRs.
12. लेखापरीक्षा दल को संबंधित संवीक्षा अनुभागों से बकाया पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन एकत्र करने चाहिए और इकाइयों से उत्तर प्राप्त करने के बाद समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
The audit team should collect outstanding old IRs from concerned vetting sections and submit review report after obtaining reply from the units.
13. कार्य की अनिवार्यता/गंभीरता और उचित औचित्य के बिना, यात्रा कार्यक्रम में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
No extension in tour programme will be granted except in case of exigency/seriousness of work and without proper justification.
14. लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षित इकाई द्वारा संधारित बचत खातों/चालू खातों और पीडीए/पीएलए के बैंक विवरण सहित रोकड़ पंजी की जांच करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में, दल संबंधित बैंकों से प्रमाणित बैंक विवरणी एकत्र करेगा।
The audit team is directed to scrutiny the Cash Book with bank details of savings accounts/current accounts and PDA/PLA maintained by auditee unit. In this regard, the team will collect the certified bank statement from concerned banks.
15. लेखापरीक्षा दल को पिछले तीन वर्षों के संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी, उनके आवंटन और व्यय के साथ एकत्रित करनी चाहिए और उसे AMG-I (मुख्यालय) को प्रस्तुत करना चाहिए।
The audit team should collect the information of all types of schemes with their allotment and expenditure pertaining to the last 3 years and submit the same to AMG-I (Hq).
16. लेखापरीक्षा दल को इलाहाबाद मॉडल के अनुसार प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ 18 प्रोफार्मा प्रस्तुत करना चाहिए।
The Audit team should submit 18 proforma as per Allahabad Model alongwith DIR.
17. लेखापरीक्षा दल, विंग आदेश Tr.No373, दिनांक 24.07.2023 के अनुसार, OIOS Toolkit पर लेखापरीक्षित इकाई की IT प्रणालियों के बारे में जानकारी को अद्यतन/अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।
The Audit team will ensure updation/uploading of the information about IT Systems of audited entity on OIOS toolkits as per wing order Tr. No. 373 dated 24.07.2023.

वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी-1)

ए.एम.जी.-1 (मु.)/3rd तिमाही यात्रा कार्यक्रम/2025-26/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

दिनांक:- 29.12.2025

Tr.No-1455 to 1460

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का सचिवालय
2. उप महालेखाकार/ ए.एम.जी.-1 का सचिवालय (ईमेल के माध्यम से)
3. व.ले.प.अ./दावा/ए.एम.एस/पी.पी.जी (ईमेल के माध्यम से)
4. सम्बंधित व्यक्ति (ईमेल के माध्यम से)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.-1 (मु.)